रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 31, 1982/श्रावण 9, 1904

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 31, 1982/SRAVANA 9, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1982

सा०का०नि० 640.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (अभियोजन कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1980 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो (अभियोजन कर्मचारिवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (अभियोजन कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1980 की अनुसूची में ज्येष्ठ लोक अभियोजक के पद के सामने स्तम्भ 12 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"I. (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति।

(i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग— अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग— सदस्य

(iii) निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और महानिरीक्षक पुलिस, विशेष पुलिस स्थापन या संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और विशेष महानिरीक्षक, पुलिस विशेष पुलिस स्थापन— सदस्य

II. (पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति।

(i) निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और महानिरीक्षक पुलिस, विशेष पुलिस स्थापना— अध्यक्ष

(ii) संयुक्त सचिव (सतर्कता) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग— सदस्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1982

सा० का० नि० 652.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (ज्येष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान हिन्दी आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1959 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं*, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (ज्येष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान हिन्दी आशुलिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (ज्येष्ठ वेतनमान और कनिष्ठ वेतनमान हिन्दी आशुलिपिक) भर्ती नियम, 1959 की अनुसूची में, हिन्दी आशुलिपिक (ज्येष्ठ वेतनमान) के पद के सामने,—

(1) स्तंभ 5 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अचयन पद",

(2) स्तंभ 10 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

100% ऐसे कनिष्ठ हिन्दी आशुलिपिकों में से, ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट पर गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा" ;

(3) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"ऐसे कनिष्ठ हिन्दी आशुलिपिकों में से जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है, हिन्दी आशुलिपि में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति पर आशुलिपि में अर्हता परीक्षा के आधार पर। ऐसे कनिष्ठ हिन्दी आशुलिपिकों को, जिन्होंने दो अग्रिम वेतन वृद्धियों की मंजूरी के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित 100 शब्द प्रतिमिनट की गति परीक्षण में अर्हता प्राप्त कर ली है, अर्हता-परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट दी जाएगी।"

*मूल नियम, मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3/37/56-बी० पी०, तारीख 31 दिसम्बर, 1959 द्वारा अनुसूचित किए गए थे। तब से आगे कोई संशोधन नहीं हुआ।

[संख्या 12019/5/81-बी(ए)]
आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 30th June, 1982

G.S.R. 652.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the All India Radio (Senior Scale and Junior Scale Hindi Stenographers) Recruitment Rules, 1959, *namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Senior Scale and Junior Scale Hindi Stenographers) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Senior Scale and Junior Scale Hindi Stenographers) Recruitment Rules, 1959, against the post of Hindi Stenographer (Senior Scale),

(i) for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"Non-selection post";

(ii) for the entry under column 10 of the following entry shall be substituted, namely :—

"100 per cent by promotion on Seniority-cum-fitness basis from those Junior Hindi Stenographers who have qualified a speed test at 100 words per minute in stenography failing which by direct recruitment";

(iii) for the entry under column 11 the following entry shall be substituted, namely:—

"from amongst Junior Hindi Stenographers with five years' regular service on the basis of qualifying examination in shorthand at a speed of 100 words per minute in Hindi Stenography. Junior Hindi Stenographers who have qualified in a speed test at 100 words per minute conducted by the Staff Selection Commission for the grant of two advance increments shall be exempted from taking the qualifying examination".

*The principal rules were notified vide this Ministry's Notification No. 3|37|56-BP, dated the 31st December, 1959. There has been no amendment since then.

[No. 12019/5/81-B(A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1982

सा०का०नि० 653.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 6 फरवरी, 1982 के पृष्ठ 417 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 141, तारीख 28 जनवरी, 1982 में पैरा 2 के उपपैरा (5)(ङ) में, "संयुक्त" शब्द का लोप किया जाएगा।

[सं० एस० 70012/7/81-पी०एफ० (ii)]
ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th July, 1982

G.S.R. 653.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. G.S.R. 141, dated the 28th January, 1982 published at page 418 of the Gazette of India, Part II section 3, sub-section (i) dated the 6th February, 1982 in sub-paragraph (5) (e) of paragraph 2, the word "Joint" shall be deleted.

[No. S. 70012|7|81-PF.II]
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982